

अल्पसंख्यक की परिभाषा

सन्दर्भ

देश में अल्पसंख्यक कौन है इसकी परिभाषा और आधार फिर से तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के TMA पाई मामले में दिये गए संविधान पीठ के फैसले को आधार बनाकर मांग की गई थी कि अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर की जाए, न कि राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि कई राज्यों में जो वर्ग बहुसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है।

- याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(सी) को रद्द किया जाए क्योंकि यह धारा मनमानी, अतार्किक और अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है।
- इस धारा में केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के असीमित और मनमाने अधिकार दिये गये हैं, याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, वह पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक है।
- याचिका में कहा गया कि हिंदू समुदाय उन लाभों से वंचित है जो कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मौजूद हैं, अल्पसंख्यक पैनल को इस संदर्भ में 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा पर पुनः विचार करना चाहिए।
- याचिकाकर्ता ने 8 राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में संख्या में कम होने के कारण अल्पसंख्यकों के अधिकारों से इन्हें वंचित किया जा रहा है। इन्हें नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी ऐक्ट के तहत केंद्र और राज्य से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाता है।
- देश के सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। भारत में हिंदुओं को शुरु से ही बहुसंख्यक माना जाता रहा है।

इतिहास

- 1899 में उस समय के ब्रिटिश जनगणना आयुक्त ने सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिम को अल्पसंख्यक कहा था जबकि हिंदुओं को देश का बहुसंख्यक समुदाय बताया था। हालांकि इस परिभाषा में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि अल्पसंख्यक कहे जाने के लिए कुल आबाद में समुदाय विशेष की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए।
- भारतीय जनतंत्र में अल्पमत आधे से कम को कहते हैं और आधे से एक भी अधिक को बहुमत कहा जाता है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इसी आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का निर्धारण नहीं हो सकता है।
- आजादी के बाद भी अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बन सकी। संविधान के अनुच्छेद 366 पूरा का पूरा परिभाषाओं के लिए ही है। लेकिन, अल्पसंख्यक की परिभाषा इस अनुच्छेद में भी नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित करने की जरूरत ही महसूस नहीं की।
- यहां तक की भारत सरकार ने भी 1992 में जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कानून पारित किया तो उसमें भी अल्पसंख्यक की परिभाषा में यही कहा गया कि 'अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे।'
- 1947 में देश के विभाजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लगभग सभी लोग पाकिस्तान चले गए थे और भारत में इनकी संख्या बहुत कम रह गई।
- हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में यह आशंका थी कि ऐसा न हो कि हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी के कारण यहाँ केवल हिंदुओं की ही सरकार बने और वह अल्पसंख्यकों के त्यौहारों या उनके रीति-रिवाज का पालन करने पर कोई रोक लगा दे।
- यही वजह है कि अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने रीति-रिवाज तथा धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। इसके अलावा संविधान में और कुछ नहीं कहा गया।
- 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(c) के तहत 23 अक्टूबर, 1993 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में पाँच समुदायों मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया।

संविधान में अल्पसंख्यक

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन

इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।

- अनुच्छेद 29 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 350A और 350B केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।
- गुजरात सरकार ने राज्य में जैन समुदाय को अलग से अल्पसंख्यक घोषित किया है।
- स्पष्ट है कि किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार सरकार ने खुद अपने हाथ में लिया है। भारत में प्रचलन में यही देखा गया है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि को अल्पसंख्यक माना जाता है। इन्हें अपने समुदाय का संरक्षण करने के लिए कई अधिकार भी दिए गए हैं। लेकिन, जब संख्या के आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहा जाता है तो यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी खास स्थान या राज्य में किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या कितनी है।
- अल्पसंख्यक आयोग अभी जिस मामले पर विचार कर रहा है, उसमें राज्य में समुदाय विशेष की संख्या को ध्यान में रखने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि स्थान विशेष पर जो समुदाय सच में अल्पसंख्या में है, उसे ही अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके।
- जम्मू-कश्मीर की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या 68% है जबकि हिंदू सिर्फ 28.44% ही हैं। इसके बावजूद अभी तक के नियमों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में भी मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है।
- 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुओं की है। देश में हिंदू 79.8% हैं जबकि मुसलमान 14.2% हैं। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि भारत में मुसलमान दूसरा बड़ा बहुसंख्यक समुदाय है। लेकिन ऐसा करने पर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को लेकर सवाल उठने लगेंगे।
- दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है। लेकिन अल्पसंख्यकों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं का सर्वाधिक लाभ मुसलमानों को ही मिल रहा है।

TMA पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया का मामला

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि राज्य कानून के संबंध में धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है।
- यहाँ तक कि अल्पसंख्यक का निर्धारण करने में एक केंद्रीय कानून के लिये भी ईकाई का आधार राज्य होगा न कि संपूर्ण भारत। इस प्रकार, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, जिन्हें अनुच्छेद 30 में बराबरी का दर्जा दिया गया है, को राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, 'Any group of community which is economically, politically non-dominant and inferior in population.' अर्थात् ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्ट और स्थिर जातीय (Stable Ethnic), धार्मिक और भाषायी विशेषताएँ हैं।
- कई यूरोपीय देशों में कुल आबादी में दस फीसदी से कम आबादी वाले समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में छह फीसदी से कम आबादी वाले समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी निर्धारण नहीं किया गया है।

योजनाएं

शैक्षिक सशक्तिकरण

- छात्रवृत्ति योजनाएं

- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना
- “पढ़ो परदेश” – अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना
- नया सवेरा: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थी/विद्यार्थी के लिये निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना
- नई उड़ान – संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता की योजना

आर्थिक सशक्तिकरण

- कौशल विकास
- “सीखो और कमाओ” – अल्पसंख्यकों का कौशल विकास
- पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजना
- नई मंजिल सामाजिक-आकलन और सामाजिक प्रबंधन की रूपरेखा
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस)
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से रियायती ऋण (एनएमडीएफसी)

अवसंरचना विकास

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.)

विशेष ज़रूरत

- “नई रोशनी” – अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना
- हमारी धरोहर – भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत संरक्षित करने की योजना
- जियो पारसी – भारत में पारसियों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
- वक्फ प्रबंधन
- कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (राज्य वक्फ बोर्ड के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा सुदृढीकरण की पूर्ववर्ती योजना)
- शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (वक्फ को सहायता अनुदान के लिए पूर्ववर्ती योजना : शहरी वक्फ सम्पत्तियों का विकास)

संस्थानों को सहायता

- मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के लिए सहायता अनुदान (MAEF)
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य एजेंसियों को सहायता अनुदान

मुख्य परीक्षा प्रश्न

- बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक विभाजन न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को कम करने वाली संज्ञा है बल्कि राजनीतिक तुष्टिकरण का एक हथियार भी। अंत्योदय के संदर्भ में उपरोक्त कथन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. भारत में समुदायों का असमान वितरण किसी समुदाय को राष्ट्रीय रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करने में परस्पर विरोधी स्थिति पैदा करता है, जो कुछ राज्यों में बहुसंख्यक हो सकता है।
2. नागरिकों का लगातार हो रहा प्रवासन जनसांख्यिकी को प्रभावित करता है।
3. धार्मिक या भाषायी समुदाय की संरचना में बदलाव भी एक बड़ा कारण है। जिसके कारण किसी भी स्थिर नीति का कारगर होना मुश्किल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है।

- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3 (c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी